रि.न.105
19/12/24

फर्द अहकाम

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

ललित वर्मा बनाम रामदेव वगै0

किस्म 225 आरटीएक्ट नम्बर 324 सन–2024

19.12.24	यह अपील विद्वान अधिवक्ता श्री नरसिंह रावत द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 73/2024 में पारित आदेश दिनांक 06-12-2024 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। जिस पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना-पत्र में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट की क्रयशुदा आराजीयात है जिसे अपीलांट के द्वारा सुखा पुत्र रेखा, चन्द्रा वल्द किशना, गणेश वल्द जयराम, हजारी दूदा रामपाल पुत्रगण छीतर के वारिसान से जरिए पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 19.11.2009 को क्रय कर कब्जा एवं दखल प्राप्त कर लिया था। तत्समय से ही अपीलांट उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज काश्त चला आ रहा है परंतु अपीलांट का नामान्तरकरण वादग्रस्त आराजीयात पर दर्ज नहीं होने से अपीलांट के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत उद्घोषणा खातेदारी बहक अपीलांट विरुद्ध रेस्पोडेंटस माननीय न्यायालय की सेवा में विधिवत् रूप से प्रस्तुत किया जा चुका है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश पारित कर भारी कानूनी एवं सैद्धांतिक भूल की है। वादग्रस्त आराजीयात को जरिये बेचान दिनांक 19.11.2009 को क्रय किए जाने के पश्चात् से ही वादग्रस्त आराजीयात पर निर्बाध रूप से काश्त की जा रही है परंतु रेस्पोडेंट्स के द्वारा अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से लाभ उठाते हुए हाल ही में रेस्पोडेंट सं.1 के पक्ष में दिनांक 08.11.2024 को बेचाननामा तस्दीक करवा लिया जब अपीलांट को इस तथ्य की जानकारी हुई तो प्रार्थी के द्वारा रेस्पोडेंट्स को उपरोक्त कृत्य गलत होने बाबत् बात कही तो रेस्पोडेंट ने कहा कि हमने तो भूमि का बेचान कर दिया है अब हम आपकी सहायता नहीं कर सकते जिससे प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त वाद पत्र वास्ते उद्घोषणा खातेदारी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। न्यायहित में रेस्पोडेंट्स को पाबंद किया जाना अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि अपीलांट का विवादित भूमि में हक एवं अधिकार है इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा से रेस्पोडेंस को पाबंद किया जावे ताकि वे अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं बेदखली की कार्यवाही नहीं करें। विवादित भूमि में रेस्पोडेंट्स का कोई भी हक एवं अधिकार नहीं है तथा न ही विवादित भूमि पर उनका कब्जा है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है, यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से रेस्पोडेंट्स को पाबंद नहीं किया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। अतः निवेदन किया कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर जिला अजमेर दिनांक 06.12.2024 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे एवं रेस्पोडेंट्स/अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जावे कि वह अपीलांट/प्रार्थी के कब्जे एवं काश्त में दखलंदाजी एवं बेदखल करने की कार्यवाही नहीं करें एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति को यथावत् रखें।	

लगातार.....

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

लगातार...

विद्वान अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट द्वारा पेश अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश/आदेशिका दिनांक 06–12–2024 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अस्थाई निषेघाज्ञा का प्रार्थना पत्र वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.2024 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करते हुए अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होने के आदेश दिए गए हैं। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील के साथ एक विक्रय प्रलेख दिनांक 19.11.2009 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। उक्त विक्रय प्रलेख के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त विवादित आराजीयात अपीलांट ललित वर्मा पुत्र बंशीलाल वर्मा जाति भांभी को सुखा पुत्र रेखा, चन्द्रा वल्द किशना, गणेष वल्द जयराम, हजारी, दूदा, रामपाल पुत्रगण छीतर के वारिसान से जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा द्वारा दिनांक 19.11.2009 को बेचान की गई है परन्तु अपीलांट के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होने का लाभ उठाते हुए घासी राम पुत्र जवार जाति मेघवंशी से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 रामदेव के पक्ष में दिनांक 08.11.2024 को बैनामा तस्दीक करवा दिया। यदि दौराने वाद उक्त विवादित आराजीयात को बेचान या खुर्द–बुर्द किया गया तो पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद होगा तथा वाद के विचाराधीन रहते हुए वाद की बाहुल्यता नहीं बढ़े, इसलिए विवादित आराजी को सुरक्षित रखा जाना न्यायहित में उचित होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र को अंतिम रूप से तय नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण अभी अग्रिम कार्यवाही हेतु आगामी तारीख पेशी पर नियत किया गया है, जो केस डिसाइडेड की परिभाषा में नहीं आता है तथा अंतिम निर्णय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा किया जाना है। अत अंतरिम अस्थाई निषेघाज्ञा को एक माह में निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है इसलिए उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के राजस्व प्रकरण संख्या 73/2024 में पारित आदेश दिनांक 06–12–2024 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणावगुण पर अपीलांट द्वारा पेश अस्थाई निषेघाज्ञा के प्रार्थना पत्र का एक माह में आवश्यक रूप से निस्तारण करे तब तक उभयपक्ष विवादित आराजी ग्राम पालरा तहसील व जिला अजमेर में स्थित खेत खसरा संख्या 180 एवं 181 की मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। पत्रावली फैसलशुमार होने के कारण नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner